अनुदान संख्या 11 – वाणिज्य विभाग
GRANT No. 11 - DEPARTMENT OF COMMERCE

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	4741,70,00		5695,32,00	5659,52,80	-35,79,20
पूरक	Supplementary	953,62,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					11,69,03
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-			510,00,00	500,00,00	-10,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					10,00,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2057"	Major Head "2057"				
पूर्ति तथा निपटान	Supplies and Disposals				
मू.	O.	10000.00	2500.00	2500.00	..
पु.	R.	-7500.00			
मुख्य शीर्ष "2407"	Major Head "2407"				
बागान	Plantations				
मू.	O.	42302.00	60435.43	60139.43	-296.00
पू.	S.	4075.00			
पु.	R.	14058.43			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	10000.00			
पू.	S.	287.00	..	..	..
पु.	R.	-10287.00			
मुख्य शीर्ष "3453"	Major Head "3453"				
विदेश व्यापार तथा निर्यात संवर्धन	Foreign Trade and Export Promotion				
मू.	O.	396568.00			
पू.	S.	91000.00	489691.94	487942.44	-1749.50
पु.	R.	2123.94			

(I) ₹10787.00 लाख का प्रावधान (दिसंबर, 2018 में प्राप्त किए गए ₹287.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹10287.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत – निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के तहत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹10787.00 lakhs (including supplementary grant of ₹287.00 lakhs obtained in December, 2018) remained wholly unutilized under six heads; of these ₹10287.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads:-

(का) "चाय – अन्य व्यय – बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय" – ₹5107.00 लाख (₹187.00 लाख के पूरक अनुदान सहित);

(A) "Tea - Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies" - ₹5107.00 lakhs (including supplementary grant of ₹187.00 lakhs);

(खा) "काफी – अन्य व्यय – बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय" – ₹1080.00 लाख;

(B) "Coffee - Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies" - ₹1080 lakhs;

(गा) "रबड़ – अन्य व्यय – बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय" – ₹2770.00 लाख;

(C) "Rubber - Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies" - ₹2770.00 lakhs;

(घा) “मसाले – अन्य व्यय – बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय” – ₹790.00 लाख (₹100.00 लाख के पूरक अनुदान सहित); और

(ङ) “अन्य व्यय – बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय” – ₹540.00 लाख।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अन्तर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओ/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष “2057” – “खरीद – अवसंरचना एवं सूचना प्रौद्योगिकी आदि का आधुनिकीकरण” – के अंतर्गत ₹7500.00 लाख की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “3453” – “निर्यात संवर्धन और बाजार विकास के लिए सहायता – बोर्ड प्राधिकरण तथा स्वायत्त निकाय” – ₹2533.95 लाख की बचत (₹21324.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(IV) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹1265.91 लाख की बचत हुई जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक और ₹500.00 लाख से कम तथा स्वीकृत प्रावधान का 59 प्रतिशत से 75 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹17605.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत जुलाई, 2018, दिसंबर, 2018 तथा फरवरी, 2019 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के तहत ₹35362.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(का) मुख्य शीर्ष “2407” –

(क) “चाय” –

(D) “Spices - Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies” - ₹790.00 lakhs (including supplementary grant of ₹100.00 lakhs); and

(E) “Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies” - ₹540.00 lakhs.

Provisions under the above five heads remained unutilized due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head “2057” - “Purchase – Modernisation of Infrastructure and IT etc.” – saving of ₹7500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous year with the implementing agencies.

(III) Under Major Head “3453” - “Assistance for Export Promotion and Market Development – Boards, Authorities and Autonomous Bodies” - saving of ₹2533.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹21324.50 lakhs) was due to receipt of less proposals from the implementing agencies.

(IV) Under four heads savings of ₹1265.91 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 59 percent to 75 percent of the sanctioned provision.

2. (I) The above savings were partly (₹17605.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹35362.00 lakhs in July, 2018, December, 2018 and February, 2019 under the following major heads: -

(A) Major Head “2407” –

(a) “Tea” –

(i) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय" – ₹376.00 लाख।

(ii) "अन्य व्यय – बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय" – ₹5107.00 लाख।

(ख) "काफी" –

(i) "उपकर के संग्रहण के अंतर्गत अदायगी – बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय" – ₹2355.00 लाख।

(ii) "पौधरोपण के लिए सहायिकी – बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय" – ₹400.00 लाख।

(iii) "अन्य व्यय – बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय" – ₹1080.00 लाख।

(ग) "रबड़" –

(i) "उपकर के संग्रहण के अंतर्गत अदायगी – बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय" – ₹1278.00 लाख।

(ii) "अन्य व्यय – बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय" – ₹2770.00 लाख।

(घ) "मसाले" –

(i) "उपकर के संग्रहण के अंतर्गत अदायगी – बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय" – ₹300.00 लाख।

(ii) "अन्य व्यय – बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय" – ₹950.00 लाख।

(i) "Special Component Plan for Scheduled Castes – Boards Authorities and Autonomous Bodies" – ₹376.00 lakhs.

(ii) "Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies" - ₹5107.00 lakhs.

(b) "Coffee" –

(i) "Payment against collection of Cess - Boards Authorities and Autonomous Bodies" - ₹2355.00 lakhs.

(ii) "Subsidy for Plantation – Boards Authorities and Autonomous Bodies" - ₹400.00 lakhs.

(iii) "Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies" - ₹1080.00 lakhs.

(c) "Rubber" –

(i) "Payment against collection of Cess - Boards Authorities and Autonomous Bodies" - ₹1278.00 lakhs.

(ii) "Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies" - ₹2770.00 lakhs.

(d) "Spices" –

(i) "Payment against collection of Cess – Boards Authorities and Autonomous Bodies" – ₹300.00 lakhs.

(ii) "Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies" - ₹950.00 lakhs.

(खा) मुख्यशीर्ष "3453" – "निर्यात संवर्द्धन तथा बाजार विकास के लिए सहायता – निर्यात संवर्द्धन स्कीम" – ₹2989.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹2962.25 लाख था।

(B) Major Head "3453" – "Assistance for Export Promotion and Market Development – Export Promotion Scheme" - ₹2989.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2962.25 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष "3453" – "विदेश व्यापार नियंत्रण – महानिदेशक विदेश व्यापार" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं – ₹872.84 लाख का अधिक व्यय (₹12623.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे जाने और स्थापना संबंधी खर्चों के लंबित बिलों का भुगतान किए जाने के कारण हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3453" - "Foreign Trade Control – Director General of Foreign Trade" – excess of ₹872.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12623.00 lakhs) was due to filling up of vacant posts and clearance of pending bills of establishment related expenses.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत, ₹487.09 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 32 प्रतिशत था।

(III) Under one head excess of ₹487.09 lakhs occurred constituting 32 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईः–

3. In the capital section of the grant, saving occurred under the following major head:

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4059"	Major Head "4059"				
लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	1000.00	..	..	..
पु.	R.	-1000.00			

(I) ₹1000.00 लाख का प्रावधान "कार्यालय भवन – निर्माण – वाणिज्य भवन का निर्माण" – के अंतर्गत एक मामले में कार्यान्वयन एजेंसियों से प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹1000.00 lakhs remained wholly unutilized in one case under "Office Buildings – Construction – Construction of Vanijya Bhawan" - due to non-receipt of the proposals from the implementing agencies.

4. *मूल्य स्थिरीकरण निधिः–*

मूल्य स्थिरीकरण निधि अप्रैल, 2003 में चाय, कॉफी, रबड़ और तम्बाकू छोटे उत्पादकों और चार हेक्टेयर तक भूमि की परिचालन को वित्तीय राहत प्रदान करने के उद्देश्य से 10 वर्षों के लिए लागू किया गया था। सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीद संचालन के बिना पिछले सात वर्षों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के औसत मूल्य से नीचे मूल्य गिरा। सितंबर, 2003 में सरकार द्वारा स्थापित मूल्य स्थिरीकरण निधि न्यास स्कीम के कार्यान्वयन के लिए किया गया। स्कीम के अंतर्गत, ₹482.88 करोड़ का भारत सरकार का अंशदान और उत्पादकों का ₹17.22 करोड़ का अंशदान (प्रवेश शुल्क संबंधित) सहित भारत सरकार के लोक लेखा में ₹500 करोड़ रखा गया था। उत्पादक सदस्य को प्रवेश शुल्क के लिए ₹500 करोड़ (अप्रतिदेय) जमा करने आवश्यकता थी, जो पीएसएफ के कॉर्पस निधि का हिस्सा बन जाएगा। यह स्कीम 30.09.2013 को बंद हो गयी थी।

वर्ष 2018–19 की मूल्य स्थिरीकरण निधि का लेखा निम्नानुसार था:–

4. *Price Stabilization Fund:-*

Price Stabilization Fund was introduced in April, 2003 for a period of 10 years with the objective of providing financial relief to small growers of tea, coffee, rubber and tobacco having operational holdings of land up to four hectares, when the price fall below the average price of previous seven years International price, without resorting to the practice of procurement operations by Government agencies. Price Stabilization Fund Trust was set up by the Government in September, 2003 to implement the scheme. Under the scheme, a corpus of ₹500 crores was to be kept in Public Account of Government of India with Government of India contribution of ₹482.88 crores and Growers' contribution (towards entry fee) of ₹17.22 crores. The grower member was required to deposit ₹500 (Non-refundable) towards entry fee, which would form part of the corpus fund of PSF. The scheme was closed on 30.09.2013.

The Account of Price Stabilization Fund for 2018-19 was as follows: -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	1187,67,11
प्राप्तियां	Receipts	..
ब्याज जमा	Interest Credited	92,34,14
भुगतान	Payments	..
अंतशेष	Closing Balance	1280,01,25